न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–285/16

1 मानेवन्द्र सिह पुत्र स्व. श्री मुखराम, जाति जाट, निवासी 58, मानसिंहपरा, टोंक रोड़, तहसील व जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती विजय लक्ष्मी आर्य, धर्मपत्नी स्व. श्री मुखराम, निवास 58, मानसिंहपुरा, टोंक रोड, तहसील व जिला जयपुर।
2. श्रीमती कल्पना कादियान पुत्री स्व. श्री मुखराम धर्मपत्नी श्री सुरेश कादियान, निवासी प्लॉट नम्बर 7, जय जवान कॉलानी स्कीम नम्बर 1, टोंक रोड, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
3. श्रीमती अल्पा चौधरी पुत्री स्व. श्री मुखराम, धर्मपत्नी श्री बलजेन्द्र शर्मा निवासी ई–733, गांधीनगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स

4. ललित चौधरी पुत्र स्व. श्री मुखराम चौधरी, जाति जाट, निवासी 58, मानसिंहपुरा, टोंक रोड़, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।

निर्णय

दिनांकः 07/11/2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय के आदेश दिनांक 30.05.2016 (प्रकरण संख्या 31/2007) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम दहलवास में अपीलान्ट के पिता के नाम कुल 50 बीघा 9 बिस्वा भूमि थी जिसमें से राजस्थान सरकार द्वारा औधोगिक प्रयोजनार्थ 48 बीघा 15 बिस्वा भूमि अधिगृहित कर 48 बीघा 15 बिस्वा भूमि अधिगृहित कर उसका नियमानुसार मुआवजा स्व. श्री मुखराम जी को अदा कर दिया गया तथा अधिग्रहण के पश्चात् शेष बीच 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि पूर्ववत स्व. श्री मुखराम जी के नाम खातेदारी में अंकित रही, तहसील सांगानेर में सम्पन्न हुए वर्तमान बन्दोबस्त के दौरान उक्त 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 385 रकबा 0.16 हैक्टयर एवं 387 रकबा 0.27 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 हैक्टयर कायम कर खातेदारी अंकन राजस्व भू–अभिलेखों में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लागयत 3 व प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री मुखराम जी के नाम अंकित की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व प्रारूपिक रेस्पोडेन संख्या 4 के हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री मुखराम जी ने अपने जीवनकाल में अपनी सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संख्या 4 की मौजूदगी में यह व्यवस्था करके दी थी कि ग्राम दहलावास तहसील सांगानेर की शेष बची उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि एवं ग्राम भोजपुर, तहसील दूदू तथा चक 11 ई ई ए तहसील पदमपुर, जिला श्रीगांगनगर स्थित समस्त कृषि भूमियॉ अपीलान्ट व प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के हक व हिस्से में बहिस्सा बराबर–बराबर रहेगी तथा स्व. श्री मुखराज जी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती कल्पना कादियान को टोंक रोड जयपुर स्थित ''जय जवान कॉलानी'' जहॉ कि वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 निवास कर रही है को 450 वर्गगज भूमि पर दो मंजिला निर्मित भवन तथा 2,00,000/–रूपये नगद तथा 2,00,000/– रूपये श्रीमती कल्पना कादियान के पुत्र एवं पुत्री को नगद अदा किये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमती अल्पा चौधरी को इसी ''जय जवान कॉलोनी'' में 450 वर्गगज का प्लाट नम्बर 6 तथा 4,00,000/–रूपये दे दिये थे इस प्रकार ग्राम दहलावास स्थित भूमि वादग्रस्त के खातेदारी काश्तकार स्व. श्री मुखराम जी चौधरी ने अपनी समस्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तराधिकारी मात्र अपीलान्ट व प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को घोषित व नियुक्त किया। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम अहलावास की जिन भूमियों को अवाप्त किया गया था उनके बदले राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्व. श्री मुखराम जी को लगभग 54,00,000/–रूपये अदा किऐ गए थे उक्त सम्पूर्ण राशि का स्व. श्री मुखराम जी ने अपने व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती विजय लक्ष्मी आर्य के नाम से संयुक्त खाते में भारतीय स्टेट बैंक टोंक रोड़ जयपुर मे एफ0डी0आर0 करवा दिये थे जिनका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी इच्छानुसार उपयोग–उपभोग कर रही है तथा अपीलान्ट एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने उक्त धनराशि में से कभी भी कुछ प्राप्त करने की कोई इच्छा नही की है, ना ही कभी प्राप्त की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादगस्त भूमि एवं अन्य सम्पत्तियॉ स्व. श्री मुखराम जी की स्व–अर्जित सम्पत्ति है तथा अपनी स्व–अर्जित सम्पत्तियों को उन्होने अपने जीवनकाल में अपनी इच्छानुसार अपने सभी वारिसों को प्रदान कर दिया था अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की मौजूदगी मे स्व. श्री मुखराम जी द्वारा किऐ गये उक्त निर्णय के पश्चात् से सभी पक्ष पूर्णतया संतुष्ट थे तथा अपने–अपने हिस्से मे आयी सम्पत्तियॉ को शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रह थे किन्तु हाल ही में जयपुर शहर के आस पास की कृषि भूमियो मे आऐ उछाल के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की नियत मे फितूर आ गया तथा उन्होने अपीलान्ट एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को उनके अधिकारो से वंचित करने उद्देश्य से भूमि वादग्रस्त का विरासत का नामान्तरकरण गोपनीय तरीके से अपीलान्ट एवं प्रारूपिक रेस्पाडेन्ट संख्या 4 के पक्ष समर्थना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही सभी वारिसों के नाम बहिस्सा बराबर तस्दीक करवा लियो जो सरासर अवैध कार्यवाही होने कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को जैसे ही उक्त नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 15.09.2006 को माह अप्रेल 2007 में जानकारी हुई उसने उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र कल्पनाओं के आधार पर विधि के सुस्थिापित सिद्धान्तों को नजर अन्दाज करते हुए निरस्त कर दिया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2016 एवं नामान्तरकरण संख्या 115 नायब तहसीलदार सांगानेर दिनांक 15.09.2006 कतई अवैध एवं विधि विरूद्ध होने के कारण तथा मनमाने रूप से अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुऐ तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को बहाल रख कर गंभीर कानूनी त्रुटि की है परीणामस्वरूप अपीलाधीन निर्णय एवं नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्हाने आगे कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय, प्रशासन एवं न्यायिक प्रक्रियाओं के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित केवल मात्र कयासों एवं परिकल्पनाओं पर आधारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में रेस्पोडेन्ट उपस्थित हो गये और उन्हे भी उक्त वाद की पूर्ण जानकारी हो गई किन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपने प्रशासनिक प्रभाव के आधार पर नायब तहसीलदार सांगानेर से दिनांक 15.09.2006 को अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया जबकि नामान्तरकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन व आपत्तियॉ तहसीलदार सांगानेर के समक्ष विचाराधीन थी जिसमें उन्होने दिनांक 21.08.2006 को पटवारी हल्का को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे नामान्तरकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही करने से पूर्व उनके ध्यान में लावे किन्तु पटवारी हल्का ने नायब तहसीलदार के समक्ष नामान्तरकरण को प्रस्तुत कर उनसे तस्दीक करवा लिया जो कतई अवैध एवं आधारहीन तथा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरित होने की वजह से निरस्त किय जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.05.2016 एवं स्व. श्री मुखराम जी की विरासत के सम्बन्ध में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 15.09.2006 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण की कार्यवाही को नियमित वाद में अंतिम निर्णय पारित होने तक लम्बित रखे जाने की आज्ञा जारी की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रवली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग कर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप पारित की गई है, अपीलान्ट के समस्त कथन कपोल कल्पित और सत्यता से परे है अपीलान्ट द्वारा अपील केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान कर अनावश्यक मुकदमें में उलझा कर बर्बाद कर सम्पत्ति हड़पने की गरज से की है, अपीलान्ट ने श्री मुखराम जी द्वारा अपनी सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे बंटवारे की व्यवस्था का कोई लिखित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, अपीलान्ट द्वारा मात्र कोरी कल्पना के कथन किये गये है अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 स्व. श्री मुखराम जी के वारिसान है और वारिस होने अथवा न होने के बिन्दु पर कोई विवाद नही है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट ने भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को स्व. श्री मुखराम का विधिक वारिस स्वीकार किया है और कही यह कथन नही किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 विधिक वारिस नही है ऐसी स्थिति में विरासत का नामान्तरकरण को रोकने को कोई औचित्य ही नही था। उन्होने कथन किया है कि नायब तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी के सभी विधिक वारिसान के नाम बाद जॉच विरासतन नामान्तरकरण 115 दिनांक 15.09.2006 तस्दीक किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 पारित किया गया है जो विधि विधान के अनुरूप ही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार श्री मुखराम चौधरी की मृत्यु के पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 115 मृतक खातेदार के सभी वारिसान के नाम नायब तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 15.09.2006 को तस्दीक किया गया है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के मध्य वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का समक्ष न्यायालय मे विचाराधीन बतलाया गया है लेकिन विरासत के नामान्तरकरण से तकासमा सम्बन्धी विवाद में पक्षकारान के हितों पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव नही पड़ता क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.16 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07/11/17 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।